केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00040

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00579

अपीलकर्ता श्री हरवंश

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.12.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	27.12.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	06.01.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.अनंथारमन CPIO, (DR to IC VT)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.01.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	03.02.2025
निर्णय की तारीख	03.03.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.12.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1.) प्रार्थी की file No. CIC/IARMY/A/2023/108807 थी जिसकी सुनवाई – तिथि – 05 March 2024 के आदेशानुसार - विभाग ने प्रार्थी के लिए सभी परीक्षणों की अभिलेख -प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई, तो प्रार्थी ने इसकी शिकायत पत्र दिनांक 06.06.2024 तथा 15.05.2024 के जरिये "मा०" केंद्रीय सूचना आयोग को भेजी थी जिस पर मा० आयोग द्वारा जो कार्यवाही की गई

थी, उसमे प्रार्थी को अवगत कराया जावे। तथा प्रार्थी को आदेशानुसार सभी परीक्षणों की अभिलेख - प्रतियाँ उपलब्ध करावे।

2.) प्रार्थी की File no CIC/IARMY/A/2023/131818 थी, जिसकी सुनवाई तिथि – 04.10.2024 के आदेशानुसार विभाग ने प्रार्थी के लिए (स्वयं) के प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराये गए तथा आदेशनुसार उत्तर - कुंजी (Answer - Key) न उपलब्ध कराई गई। जिस पर प्रार्थी द्वारा शिकायत पत्र दिनांक 27.11.2024 "मा० आयोग" के लिए प्रेषित किया गया, जिसका Diary No. 138619/02.12.2024 को पंजीकृत हुआ, जिस पर "मा० आयोग" द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उस कार्यवाही से प्रार्थी पक्ष को अवगत कराया जावे तथा प्रार्थी को आदेशनुसार "स्वयं " का प्रशन पत्र (2013/2015) तथा "उत्तर कुंजी" (Answer Key) दिलावे तथा 2015 के "उत्तर - कुंजी " के दस प्रश्नो के (Answer) उत्तर। हल को नहीं दर्शाया गया जो निम्न है 22, 32, 33, 51, 60, 66, 67, 71,74,75 है। इसलिए प्रार्थी को आदेशनुसार पूर्ण एवं पर्याप्त "प्रश्नपत्र तथा उत्तर कुंजी दिलवाई जावे।

3.) प्रार्थी की File no. CIC/OFBKO/A/2021/125527 तथा 106929/21 के आदेशनुसार प्रार्थी को उसके सभी परीक्षणों की अभिलेख -प्रतियां "प्रतियाँ" दिलावे।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.अनंथारमन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 06.01.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"1. A letter was sent to the Respondent vide No. CIC/IARMY/A/2023/108807 dated 27.05.2024 in response to your request letter dated 15.05.2024. Since, your further request letter dated 06.06.2024 also contained similar request of the previous letter dated 15.05.2024, no action was taken on the letter dated 06.06.2024.

The CPIO vide their letter No. 661/RTI-05/Harvansh/Est (IP) dated 07.06.2024 has filed a written submission (04 pages) in compliance of the Commission's order dated 19.03.2024. The said written submission was placed before the Commission on 03.01.2025. The Commission, having accepted the compliance report, closed the matter.

2. Your request letter dated 22.11.2024, diarized in CIC vide Dy.No. 138619 dated 02.12.2024 has been placed before the Commission along with the compliance report (23 pages) received from the Respondent in pursuance of

the Commission's order dated 10.10.2024. The Commission accepted the Respondent's report and directed to close the matter.

3. The responedent had provided a reply to point No. 3 to you vide their letter No. 4182/Rectt/Gen/474/Est dated 05.07.2022.

The said letter was also placed before the Commission on 07.02.2024 and the Commission accepting the letter as the compliance of its order dated 13.06.2022, had ordered as under to be disposed of.

With regard to supply of copies of written submission sought by you in all the three cases, it is informed that a total of 28 pages shall be provided to you and you are directed to deposit Rs. 56 /- @ Rs. 2/- per copy as per Rule 4 of the Right to Information Rule, 2012 and deposit cash receipt as proof of evidence for the payment made.

3. प्रथम अपील का आधार

"सविनय नम्र निवेदन यह है कि प्रार्थी को माननीय (CIC) के आदेश अनुसार भी समुचित /सम्पूर्ण सूचनाएं पूर्ण, पर्याप्त एवं "अभिलेख -प्रति " में विलम्ब हो रहा है। तथा उसका कीमती समय - निरंतर बर्बाद हो रहा है। जिसका जिम्मेदार माननीय CIC एवं विभाग के अधिकारी गण होंगे। प्रार्थी को स्वयं का प्रश्न पत्र एवं अंसार की 2013 की न उपलब्ध कराई गई तथा 2015 की अंसार की से 10 प्रश्नो के विकल्प तो दर्शाए है लेकिन उनके अंसार/उत्तर को नहीं दर्शाया गया है, जिनमे फेर बदल किया गया है तथा प्रश्न पत्र में हेरा फेरी की गई है जिसका जिम्मेदार माननीय विभाग होगा तथा माननीय (CIC) द्वारा इतना सब देखते हुए कोई कार्यवाही न की जा रही है। और न ही उनकी नॉन - कम्प्लेंट्स पर कोई कार्यवाही हो रही है। अतः प्रार्थी को आदेश मुताबिक सूचनाओं को उपलब्ध कराया जावे।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00579 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिकारी अधिनियम की धारा 2(च)के प्रावधानों के अनुसार एक जन सूचना अधिकारी केवल सम्बंधित लोक प्राधिकरण के रिकॉर्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक :03.03.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

C.I.C./कें० सू० आ०
RECEIVED
03 MAR 2025
D No.
Initials..